

**\*प्रेस विज्ञप्ति\***

**\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक फरवरी 28, 2023\***

**!!□ आज दिनांक 28.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महाराजगंज श्री डॉ० कौस्तुभ के निर्देशन में जनपद महाराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!**

\*1.\* "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक।

\*2.\* महाराजगंज पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठान आदि की सघन चेकिंग कर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई।

\*3. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\* जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 158 वाहनों का चालान किया गया।

\*4.\* पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठके कर सौहार्दपूर्ण, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु पराली न जलाने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी। तथा समस्त थानों प्रभारियों को उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

\*5. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 22 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151, तथा धारा-107/116 सीआरपीसी में 97 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

\*6. पैदल गश्त अभियान-\* श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। नियम विरुद्ध कार्य करने वाले 02 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 110 जी० जा० फौ० में की गयी कार्यवाही। नियम विरुद्ध कार्य करने वाले 182 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 34 पुलिस अधिनियम में की गयी कार्यवाही।

**\*7. अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

\*थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्त सुरेश पुत्र मंगरु निवासी सिंहोरवा थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 40 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 58/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

\*थाना फारेंदा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* बगेदन पुत्र सर्वजीत निवासी मुडरियापुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 73/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

\*थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* 1. अभियुक्त दीपलाल पुत्र दुक्खी लाल निवासी पिपरा थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 40 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 46/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 2. अभियुक्त कोशीनन्द पुत्र रामप्रीत निवासी जमुई कला थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 25 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 47/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 3. अभियुक्त अंगद पुत्र झकरी निवासी बेलवा थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 48/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 4. अभियुक्त शिवकमार पुत्र जगरन्नाथ निवासी शीशगढ़ डमरु थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 25 शीशी अवैध नेपाली

शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 49/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 5. अभियुक्त रमेश पुत्र रामशरन निवासी डिगही थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 पाउच बन्टी बबली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 50/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**\*थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** 1. अभियुक्त निरंजन चौहान पुत्र सुदर्शन चौहन निवासी मेहदिया पश्चिम टोला थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 अदद फ्रुटी बंटी बबली अवैध शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 77/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 2. अभियुक्त विश्वनाथ प्रजापति पुत्र देवदत्त ताना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे से 17 पाउच बन्टी बबली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 78/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**\*थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त गुलामनवी पुत्र अब्दुल ग्राम रमगढ़वा थाना बरगदवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 14 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 26/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**\*थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त खुदुरी पत्नी स्व0 सीताराम निवासी ग्राम जंगल गुलरिहा मुसहर टोला थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 36/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**\*08. कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त विश्वजीत पुत्र सुखलाल निवासी वार्ड न0-15 सरोजनीनगर ताना नौतनवा जनपद महाराजगंज , 2. आकाश मद्धेशिया पुत्र ऋषिकेश मद्धेशिया निवासी उपरोक्त , जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 बोरा गुलाल (प्रत्येक 10 कि0ग्रा) गुलाल (प्रत्येक 25 कि0ग्रा0) को बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/23 धारा 111 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

**\*8. गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्तगण मदन पुत्र सूरज निवासी पुदलापुर थाना चौक जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-निल/23 धारा ¾ गुण्डा एक्ट अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

**\*8. आर्म्स अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना फरेंदा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त योगेश मिश्रा पुत्र गुडडू पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी राखूखोर टोला लालपुर थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर नगर के कब्जे से एक अदद पिस्टल 32 बोर बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 74/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

**\*8. एनडीपीएस अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त मोहम्मद आलाम पुत्र अब्दुल अजीज निवासी दोगहरा थान भैरहवा जिला रुपन्देही नेपाल राष्ट्र के कब्जे से एम्प्राजेलम-258, टेबलेट 01 अदद मोटरसाउकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 23/23 धारा 8/21/23 आयुध अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

**\*8. गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्तगण मदन पुत्र सूरज निवासी पुदलापुर थाना चौक जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-निल/23 धारा ¾ गुण्डा एक्ट अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

**\*09. विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 15 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

**\*10. जनपद में 27/28.02.2023 को विभिन्न अपराधों में कुल- 35 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।**

**\*11.आदेश-\*** महाराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा ।